कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा रायगढ़ छ.ग.

पत्र क्रमांक / 1159 / समग्र शि / पीएमश्री / स्था / 2026–27 रायगढ़, दिनांक 9/7/26

विज्ञापन

राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक 1345 / समग्र शिक्षा / PMSHRI / 2026 रायपुर, दिनांक 25 / 06 / 2026 मे दिए प्रावधान अनुसार जिले में पीएमश्री योजना अतर्गत संचालित स्कूलो मे रिक्त पद (सगीत शिक्षक) पर अंशकालीन निश्चित मानदेय राशि 10,000/– अक्षराश स.दस हजार मात्र प्रति माह पर नियुक्ति के लिये योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र तक आमत्रित किया जाता है –

शैक्षणिक योग्यता–

सगीत शिक्षक पद हेतु– शासकीय मान्यता प्राप्त वि.वि / सरथान से सगीत मे स्नातक डिग्री।

चयन का तरीका– स्नातक (सगीत) मे प्राप्ताक, प्रतिशत मेरिट क्रम के वरियता आधार पर होगा।

शर्ते –

1– नियुक्ति आदेश जारी तिथि से / 31 मार्च 2027 तक के लिये होगी। तत्पश्चात बजट की उपलब्धता के आधार पर एव व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर आगे बढाने का निर्णय लिया जा सकेगा, अन्यथा नियुक्ति अवधि की समाप्ति पर नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी ।

2– नियुक्ति अवधि मे भारत सरकार, अनुशंसित वार्षिक कार्य योजना एव बजट मे स्वीकृत एकमुश्त राशि प्रतिमाह देय होगा। छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत नियमित वेतनमान लागू नहीं होगा।

3– नियुक्ति पूर्णत: अस्थाई होगा। सेवा का स्वरूप अंशकालीन एवं मानदेय आधारित है। कार्य सतोषजनक पाये जाने पर सेवा अवधि में वृद्धि किया जा सकेगा। कर्मचारी की नियुक्ति बिना कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकती है। इस दौरान दोनों पक्षो में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। सेवासमाप्ति के बाद कर्मचारी को किसी प्रकार के पेंशनभत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी

4– आवेदक की आयु–दिनाक 01–07–2026 की स्थिति मे न्यूनतम 21 वर्ष एव अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए । अधिकतम आयुसीमा मे छूट के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्णय / नियम लागू होगें ।

5– एस.सी. / एस.टी / ओ.बी.सी. हेतु आयुसीमा में छूट शासकीय नियमानुसार ही होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6– समय–समय पर समग्र शिक्षा अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियो मे आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना ।

7– इसके अतिरिक्त राज्य / जिला कार्यालय के निर्देशो पर अन्य सौपे गए कार्य करना ।

8– चयनित उम्मीदवार को जिला मिशन समन्वयक के साथ एक शपथपत्र / अनुबध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबध के उल्लघन के मामले मे अनुबंध रद्द माना जावेगा। जिसकी सूचना नही दी जावेगी और नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी ।

9– अनुबध के आधार पर अस्थाई रूप से नियुक्त उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय मे याचिका दायर नही करेगा।

10– रिक्तियो की सख्या परिवर्तनीय है।

11– चयनित उम्मीदवार को अस्थाई नियुक्ति पत्र प्राप्ति होने के तुरत ही निर्धारित अवधि मे कर्तव्य मे शामिल होना पडेगा, अन्यथा मेरिटसूची के अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नही दी जावेगी ।

12– कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं है ।

13– कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। साथ ही छ.ग. सिविलसेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हताएं भी लागू होगी। परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या इसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा ।

14– उम्मीदवार छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें ।

15– शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त सस्था से होने पर ही मान्य किया जावेगा।

16– आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावेगा। आवेदन के साथ वांछित प्रमाणपत्र एवं अंक सूची राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित होनी चाहिए ।

17– अनुभव के संबंध में उम्मीदवार को संबंधित संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। शासकीय/मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र पर ही अंक प्रदान की जावेगी।

18– शासकीय/अर्ध–शासकीय अथवा निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाणपत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

19– अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदनपत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदनपत्र अमान्य कर दिये जायेगें।

20– आवेदक को लिफाफे के उपर आवेदित पदनाम का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए साथ ही लिफाफे पर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

21– आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण के लिये कक्षा 10 वीं का प्रमाणपत्र अंक सूची देना अनिवार्य होगा।

22– आवेदन पत्र जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा कार्यालय कलेक्ट्रेट केम्पस, रायगढ़ में आवेदक से सीधे स्वीकार नहीं किये जायेगें। आवेदनपत्र पंजीकृत डाक स्पीडपोस्ट से ही स्वीकार किये जायेगें। आवेदक का आवेदनपत्र दिनांक 29/09/2026 को शाम 5.00 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, रायगढ़ छ.ग. 496001 कलेक्टोरेट परिसर रायगढ़ में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनपत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

Digitally signed by
MAYANK CHATURVEDI
Date: 03-09-2026
21:35:02

कलेक्टर
जिला मिशन संचालक
समग्र शिक्षा,रायगढ़(छ.ग.)